

पत्तावली पेश हुई। कुलाभ अनुपस्थित।

पत्तावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

न्यायालय द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद वकील गण द्वारा उतिवादी गण के सम्मन पेश न करने के कारण उक्त वाद अन्तर्गत आदेश 3 नियम 5 CPC के तहत स्वारीज किया जाता है।

पत्तावली फंसल शुमार होकर दायित्व दफ्तर हो निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
अधिकारी, बावड़ी